



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102025-267087
CG-DL-E-22102025-267087

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 689]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 22, 2025/आश्विन 30, 1947

No. 689]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 22, 2025/ASVINA 30, 1947

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2025

सा.का.नि. 773(अ).— भारत के राजपत्र, असाधारण दिनांक 17.09.2025 के भाग II, खंड 3(i) में प्रकाशित वर्ष 2019, 2020 और 2021 के लिए संयुक्त आशुलिपिक (ग्रेड 'बी'/ग्रेड-'I') सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के नियमों में, टाई-ब्रेकिंग सिद्धांतों के संबंध में पैरा 9(iv)(बी)(डी) में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं:-

के स्थान पर	पढ़ा जाए
9(iv)(बी)(डी):-यदि उपरोक्त (क), (ख), (ग) के अंक भी समान हैं, तो कम आयु वाले उम्मीदवार को उच्च रैंक दी जाएगी; तथा	9(iv)(बी)(डी):-यदि उपरोक्त (क), (ख), (ग) के अंक भी समान हैं, तो आयु में वरिष्ठ उम्मीदवार को उच्च रैंक दी जाएगी; तथा

[फा. सं. 04/01/2024-सी. एस. II (ए)]

जे अशोक कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**(Department of Personnel and Training)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd October, 2025

G.S.R. 773(E).— In the Rules for the Combined Stenographers' (Grade 'B'/ Grade-'I') Limited Departmental Competitive Examination for the years 2019, 2020 and 2021 published in Part II, Section 3(i) of the Gazette of India, Extraordinary dated 17.09.2025, the following changes are hereby made in Para 9(iv)(B)(d) regarding Tie-Breaking Principles:-

FOR	READ
9(iv)(B)(d):- If the marks at (a), (b), (c) above are also equal, then the candidate younger in age will be ranked higher; and	9(iv)(B)(d):- If the marks at (a), (b), (c) above are also equal, then the candidate senior in age will be ranked higher; and

[F. No. 4/1/2024/CS.II(A)]

J ASHOK KUMAR, Jt. Secy.